राष्ट्रीय राजमगार्गों के रख-रखाव हेतु लगाये गए कर का कुछ हिस्सा राज्य सरकारों को दिया जाये,

(ग) यदि हां, तो लगाए गए कर में उनके हिस्से का राज्यवार ब्यौरा क्या है, और;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): जी नहीं। —

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव पर होने वाले व्यय की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है।

मध्य प्रदेश में रायपुर से राष्ट्रीय राज मार्ग को उत्तर प्रदेश में बनारस से जोड़ने का प्रस्ताव

7900. श्री गोविन्द राम मिरी: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में रायपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राज मार्ग को रायपुर से वाया बिलासपुर, अम्बिकापुर, बनारस या उत्तर प्रदेश के अन्य शहर से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है, और

(ग) यदि नहीं, तो छत्तीसगढ़ के इस पिछड़े अंचल को राष्ट्रीय राज मार्ग की सुविधा उपलब्ध कराने से कब तक वंचित रखा जाएगा तथा इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों पर विचार किसी विशेष क्षेत्र, प्रदेश, जनसंख्या अथवा राज्य के स्तर के आधार पर नहीं किया जाता है अपितु समग्र देश को ध्यान में रखकर किया जाता है जो स्थानीय आवश्यकताओं आदि को पूरा करने से भिन्न होता है। इसके बावजूद, राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 6 और 43 के कुछेक खण्ड मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र से होकर गुजरते हैं।

मुरादाबाद में बाई-पास सड़क का निर्माण

7901. श्री मोहम्मद अफजल उर्फ भीम अफजल: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर मुरादाबाद को शहर से जोड़ने वाले रेल पुल की दशा बहुत खराब है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार मुरादाबाद में राष्ट्रीय राज मार्ग तक कोई बाई-पास सड़क बनाने पर विचार कर रही है, और

(ग) उक्त सड़क का निर्माण कार्य कब तक आरम्भ होगा और यह निर्माण कार्य कितनी अवधि में पूरा हो जाने की सम्भावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) रेल उपवि पुल मुरादाबाद की नगर सीमा के अंतर्गत आता है और इसका रख-रखाव स्थानीय प्रशासन द्वारा किया जा रहा क्योंकि वह राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली का हिस्सा नहीं है।

(ख) और (ग) मुरादाबाद बाईपास का निर्माण अभी योजना स्तर पर है इसलिए इसका निर्माण शुरू होने की तारीख अथवा इसे पूरा करने की अवधि के बारे में अभी बता पाना संभव नहीं है।

Loading of ships with lesser capacity near Tuticorin Port

7902. SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the ships reaching Tuticorin Port could not carry full capacity of load due to low depth in the sea than required near the port; and

(b) if so, what action Government have taken so far in order to see that the ships are able to carry maximum capacity of permissible load?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) The presently available draft of 8.24 M in the entrance channel imposes restriction in case of ships carrying cargoes above 28,000 Tones.

(b) The Techno Economic Feasibility of deepening the port is under study by Tuticorin Port Trust.

अन्तर्राज्यीय बस परमिट जारी किये जाना

7903. श्री मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश भर में परिवहन सुविधाओं में सुधार और इन्हें सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से अन्तर्राज्यीय बस परमिट जारी करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) से (घ) संबंधित राज्य परिवहन प्राधिकरण, मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 88(5) के अनुसार अंतर्राज्यीय रूट परमिट प्रदान करते हैं। इस धारा के अनुसार राज्य एक रूट अथवा क्षेत्र के लिए परमिट प्रदान करने हेतु आपस में करार कर सकते हैं। मोटर यान अधिनियम में इस प्रकार जारी किए जाने वाले परमिटों की संख्या के बारे में कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है और इस प्रकार के परमिट, इनकी संख्या तथा प्रचालन के क्षेत्र के बारे में राज्यों के बीच हुए आपसी समझौते के आधार पर जारी किए जाते हैं।

12.00 Noon

[The Deputy Chairman *in the chair*]

PAPERS LAID ON THE TABLE

Report and Accounts (1992-93) of the Konkan Railway Corporation Ltd., New Delhi and related papers.

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. K. JAFFER SHARIEF): Madam, I lay on the Table—

I. A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:—

(i) Annual Report and Accounts of the Konkan Railway Corporation Limited, New Delhi, for the year 1992-93, together with the Auditors' Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(ii) Review by Government on the working of the above Corporation.

II. Statement (in English and Hindi) *giving reasons for the delay in laying the* papers mentioned at (1) above.

Statement of reasons for not laying Report and Accounts (1992-93) of the Housing and Urban Development Corporation Ltd., New Delhi within the stipulated period.

[Placed in Library, *See No.* LT. 5997/94)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P.K. THUNGON): Madam, I lay on the Table a copy (in English and Hindi) of the Statement giving reasons for not laying the Annual Report and Accounts of the Housing and Urban Development Corporation Limited, New Delhi for the year 1992-93 within the stipulated period.

[Placed in Library, *See* No. LT. 6034/94]

I. Notification of the Ministry of Surface Transport (Shipping Wing).

II. Various Notifications of the Ministry of Surface Transport (Ports Wing)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): Madam, I lay on the Table—

I. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Surface Transport